



कार्यालय नगर पालिका रामगढ़, जिला-अलवर (राज.)

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड/फ्री होल्ड)

फार्म हाऊस

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम-2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

पत्रावली क्रमांक :

पट्टा संख्या :

यह विलेख आज वर्ष _____ के माह _____ के दिन कार्यालय नगरपालिका रामगढ़, जिला- अलवर जिन्हें इसके बाद नगर निबिय कहा जायोगा संपादित किया गया है। प्रथम पक्ष एवं श्री.

व्यवसाय

पुत्र/पुत्री/पत्नी

निवासी

(जिनकी इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकरार में जहां कही प्रसंग से जैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक प्रतिनिधि और मूल्यकिश्त अल्पे भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इससे उल्लेखित शर्तों करारों जो लीजधारक द्वारा निभाये जाते तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना..... राजस्व ग्राम

के खसरा संख्या, रकबा, वर्गमीटर, पट्टा क्रमांक, क्षेत्रफल.....

में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिसीटि में अधिक पूर्णस्वेषण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसमें वर्णन नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्यों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोगों और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रहोगा, अर्थात:-

लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अग्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अनुसार निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जगावन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये..... अंक..... यदि चहे तों एक

वारिक नगरीय निर्धारण (शहरी जगावन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करायी जाती है को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के 8 गुना के बराबर राशि जमा करवाने पर (लीज होल्ड पट्टा) तथा पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के 10 गुना के बराबर राशि जमा करवाने पर (फ्री-होल्ड पट्टा) और इस प्रकार जमा कराई गई नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दावित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका, रामगढ़

2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल..... **फार्म हाउस** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गई है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
4. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
5. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
6. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकायों को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ 10 रुपये प्रतिवर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस विक्षिप्त की जायेगी, परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
7. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक / बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
8. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है, कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे और नगर निकाय किसी व्यक्ति के कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
9. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

भूखण्ड का विवरण

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:

पूर्व : Formhouse -04
 पश्चिम : Road 12 mtr
 उत्तर : Road 12 mtr
 दक्षिण : Road 25 mtr

साक्षी के हस्ताक्षर

नाम/पता.....

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

* पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।

* Registered and Endorsement attached

अभिप्राय अधिकारी
 नगर पालिका रायसम

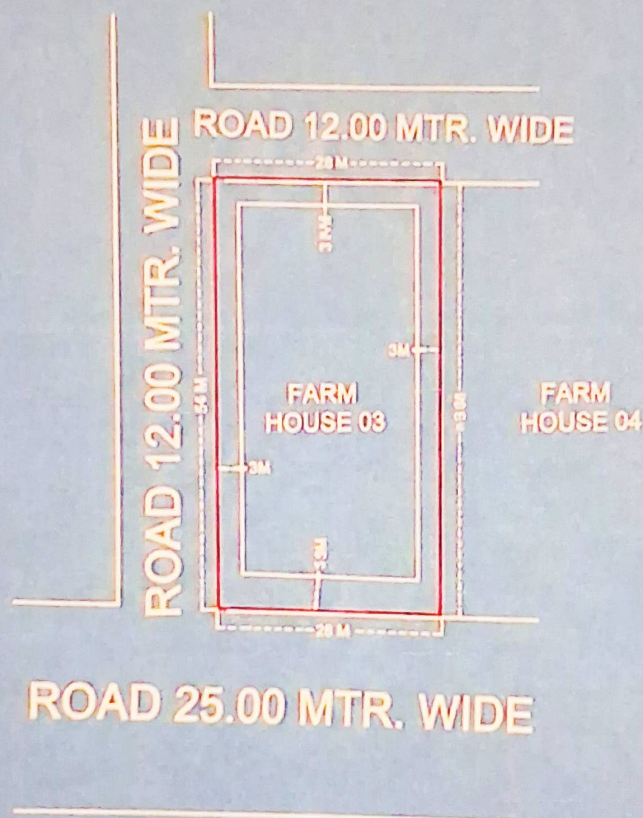
SITE PLAN OF FARM HOUSE SCHEME IN KHASRA

NO -

AT VILLAGE - DIST. - (RAJ.)



SCALE :- 1=500



TOTAL FARM HOUSE AREA = 1511.52 SQM

OWNER:- CORRIDOR ASSETS ONE

SIG. OWNER

DRAWN BY.



नगरपालिका रामगढ़ जिला-अलवर

क्रमांक / न.पा.रामगढ़ / 2026 /

दिनांक-

श्रीमान् उप पंजीयक महोदय,
तहसील रामगढ़, अलवर।

विषय:- राजस्व ग्राम चौकी के खसरा नं. / / / / / /
/ में संपरिवर्तित पश्चात् नगरपालिका रामगढ़ द्वारा आवेदक
आयु अभिवूलं प्रतिनिधि श्री निवासी-न.न. सैक्टर
गुरुग्राम हरियाणा पिन कोड- के पक्ष में जारी फार्म हाउस प्रयोजनार्थ पट्टा का पंजीयन
करने बाबत।

महोदय,

उपयेक्त विषयानर्गत निवेदन है कि राजस्व ग्राम चौकी के खसरा नं.
में संपरिवर्तित पश्चात् नगरपालिका रामगढ़ द्वारा
आवेदन क्रमांक में जरिये अधिकृत
प्रतिनिधि श्री निवासी-न.न. गुरुग्राम हरियाणा
पिन कोड-122001 के द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग
अनुज्ञा एवं आवंटन प्रार्थना पत्र 90-ए के अन्तर्गत-(निजी खातेदारी फार्म
हाउस योजना चौकी, रामगढ़) फार्म हाउस प्रयोजनार्थ पश्चात् उक्त आवेदक के पक्ष में नगरपालिका रामगढ़
द्वारा आवासीय भूखण्ड संख्या 03 पट्टा माप वर्गमीटर पट्टा क्रमांक..... दिनांक.....
.....जारी किया है। पट्टा पंजीकरण एवं स्टाम्प ड्यूटी हेतु प्रतिफल राशि 2,56,851/-रूपये है।

अतः उक्त प्रतिफल राशि पर जारी पट्टे का पंजीयन करने का श्रम करें।

संलान:-

1. पट्टा


अधिसूची अधिकारी
नगरपालिका रामगढ़ अलवर।